राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। आरोपी किशनसिंह एवं सोनू अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी किशनसिंह एवं सोनू की

उपस्थिति हेत् नियत है। 🧥

आज दिनांक को आरोपी किशनसिंह एवं सोनू को जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील वापिस प्राप्त। आज दिनांक को तामील कुनिंदा प्रधान आरक्षक लक्ष्मण परमार उपस्थित है उक्त साक्षी के तामील कुनिंदा कथन अंकित किए गए।

तामील कुनिंदा लक्ष्मण परमार द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया कि आरोपी किशनसिंह एवं सोनू दिए गए पते पर नहीं रहते हैं। आरोपीगण के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपीगण की कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। अतः आरोपी किशनसिंह एवं सोनू को फरार घोषित किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण लंबे समय से अनुपस्थित है आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हैं परंतु आरोपीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फसर हो गये हैं। आरोपीगण के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपीगण की कोई चल—अचल संपत्ति नहीं है। अतः आरोपीगण को प्रकरण में फरार घोषित किया जाता है।

आरोपी किशनसिंह एवं सोनू के विरूद्ध इस

प्रकरण में स्थायी गिरफतारी वारंट जारी किये जावे।

अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावे कि प्रकरण में आरोपीगण फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा संपत्ति सुरक्षित रखी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद

2/2